उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक C/1079 / जबलपुर, दिनांक 26 मार्च, 2016
चार–3–2/2014(मुख्य)

प्रति,

1. **जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
समस्त जिले, **मध्यप्रदेश।**

2. **प्रधान न्यायाधीश,**
परिवार न्यायालय,
समस्त जिले, **मध्यप्रदेश।**

3. **पीठासीन न्यायाधीश,**
विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज),
समस्त जिले, **मध्यप्रदेश।**

विषयः– मांग संख्या 29–2014–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत बजट नियंत्रण अधिकारी (2103) पंजीयक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के हक में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उन मदों **जिन्हें केन्द्रीयकृत बजट आहरण व्यवस्था में शामिल किया गया है,** में आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु आवश्यक राशि की जानकारी प्रेषित किये जानें बावत्।

उपरोक्त विषयक आपसे निवेदन है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु मांग संख्या 29–2014–न्याय प्रशासन से संबंधी योजना (4497), (6020), (6211) (7984) एवं मांग संख्या 64–2225 (5171) के अन्तर्गत **विभिन्न केन्द्रीयकृत मद शीर्ष–11–वेतन,भत्ते (कर्मचारीगण हेतु), शीर्ष–18–वेतन,भत्ते (न्यायिक सेवा), शीर्ष–21–यात्रा भत्ता, शीर्ष–22–कार्यालय व्यय के उपशीर्ष–002–दूरभाष प्रभार, उपशीर्ष–005–विद्युत एवं जल प्रभार एवं उपशीर्ष–009–पेट्रोल तेल आदि** जिनमें केन्द्रीयकृत बजट आहरण व्यवस्था लागू की गयी है, में व्यय होनें वाली राशि का पत्रक मदवार/योजनावार पृथक–पृथक बजट अनुभाग के ई–मेल आई0डी0 **Budget@mphc.in** के जरिये इस रजिस्ट्री की ओर शीघ्रातिशीघ्र भिजवाये जानें का कष्ट करें।

(व्ही0एन0एस0 ठाकुर)
ओ0एस0डी0 (लेखा)